

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान (द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005) email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072		सूचना का अधिकार
---	---	----------------------------

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रकाशन

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	2-3
2.	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	4-9
3.	कृत्यों के निर्वहन के लिए पर्यवेक्षण और दायित्व की प्रणालियों और विहित मानकों सहित विनिश्चय करने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या अन्य वार्ड में स्थानांतरित होने, मत आवंटन पत्रों की सूचना	10
4.	निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के पदनाम एवं आयोग के प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक	11
5.	अन्य सूचना जो विहित की जाये	12

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

सूचना के अधिकार-2005 संपर्क

प्रथम अपीलीय अधिकारी

नाम व पद	कार्यालय पता	दूरभाष	ई-मेल
श्री राजेश वर्मा (आई.ए.एस.) मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव	द्वितीय तल, विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर पिनकोड-302005	0141-2227280	secraj@rajasthan.gov.in

राज्य लोक सूचना अधिकारी

नाम व पद	कार्यालय पता	दूरभाष	ई-मेल
श्रीमती नीरज शर्मा सहायक सचिव	द्वितीय तल, विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर पिनकोड-302005	0141-2227037	secraj@rajasthan.gov.in

सहायक लोक सूचना अधिकारी

नाम व पद	कार्यालय पता	दूरभाष	ई-मेल
श्री भूपेश गुप्ता सहायक लेखाधिकारी-I	द्वितीय तल, विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर पिनकोड-302005	0141-2227037	secraj@rajasthan.gov.in

कार्यालय का पता-

राज्य निर्वाचन आयोग
द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर
पिनकोड-302005

Email- secraj@rajasthan.gov.in

TEL- 0141-2227280, FAX- 2227072

Website:

www.sec.rajasthan.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अधीन सूचना पुस्तिका

अध्याय-1

परिचय

1. इस पुस्तिका की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और प्रयोजन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य विधि में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन यह प्रकाशन आयोग प्रशासन के संबंधित लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को रेखांकित करता है।

1.1 इस पुस्तिका के प्रयोगकर्ता

जनसाधारण, राजनैतिक दल, आयोग प्रशासन से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस पुस्तिका के प्रयोगकर्ता होंगे।

1.2 सूचना का संगठन

इस पुस्तिका में सूचना का संगठन अनुक्रमणिका में दिए गए अध्यायों के क्रमानुसार दिया गया है।

1.3 सम्पर्क व्यक्ति

राज्य लोक सूचना अधिकारी अर्थात् सहायक सचिव और सहायक लोक सूचना अधिकारी अर्थात् सहायक लेखाधिकारी-I, राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय, जयपुर।

1.4 सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और फीस का ढाचा

(शा. आदेश सं. एफ 9 (23) गृह-5/2005 दिनांक 29.07.2006)

(क) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ फीस में नकद या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर की मार्फत 10/- रुपये की आवेदन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस समुचित रसीद के पेटे नकद या उपर्युक्त मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निम्नलिखित दरों पर प्रभारित की जायेगी:-

(i) सृजित या नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये,

(ii) बड़े आकार के कागज में प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत,

(iii) सैम्पलों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत, और

(iv) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले एक घण्टे के लिए कोई फीस नहीं होगी और उसके पश्चात् के प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग के लिए फीस पाँच रुपये की होगी।

(ग) धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस समुचित रसीद के पेटे नकद या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निम्नलिखित दरों पर प्रभारित की जायेगी:-

(i) डिस्कट या फ्लोपी (सी.डी.) में उपलब्ध करायी गयी सूचना के लिए प्रति (सी.डी.) डिस्कट या फ्लोपी 50/- रुपये, और

(ii) मुद्रित प्ररूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना के लिए प्रकाशन के लिए नियत कीमत या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटोप्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिये दो रुपये

गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त पैरा में वर्णित फीस के संदाय से छूट दी गयी है। ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा यथा-अनुमोदित गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की सूची रियायतों का दावा करने का आधार होगी और उस सूची का प्रमाणित उद्धरण इस रियायत को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

अध्याय-2

संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य

2.1 संविधान के 73-74 वे संशोधन पर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर का गठन माह जून 1994 में किया जाकर आयुक्त नियुक्त किये गये। आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243K के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं (यथा जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, एवं वार्ड पंच) के चुनाव एवं अनुच्छेद 243ZA के अन्तर्गत नगरीय निकायों (यथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य) के आम चुनाव एवं दोनों संस्थाओं में समय-समय पर विभिन्न कारणों से हुई रिक्तियों के उप चुनाव करवाये जाते हैं। इस कार्य हेतु आयुक्त द्वारा आयोग में सचिव के पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यों के लिए पदनामित किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायत/नगरपालिका की निर्वाचक नामावली राज्य स्तर पर तैयार करवाकर चुनाव कार्य का अधीक्षण/निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। जिला स्तर पर इस कार्य हेतु जिलों में नियुक्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, उप खण्ड मजिस्ट्रेट को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। जो कि निर्वाचक नामावलियों के तैयार करने एवं उनके रख रखाव के लिये उत्तरदायी होते हैं।

2.2 कृत्य और कर्तव्य

(क) निम्नलिखित के निर्वाचनों और उप निर्वाचनों का संचालन

- (i) 10 नगर निगम 45 नगर परिषद एवं 254 नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये।
- (ii) 41 जिला प्रमुख, 1403 जिला परिषद सदस्य, 457 प्रधान, 8245 पंचायत समिति सदस्य, 14403 सरपंच एवं 130589 वार्ड पंच के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये

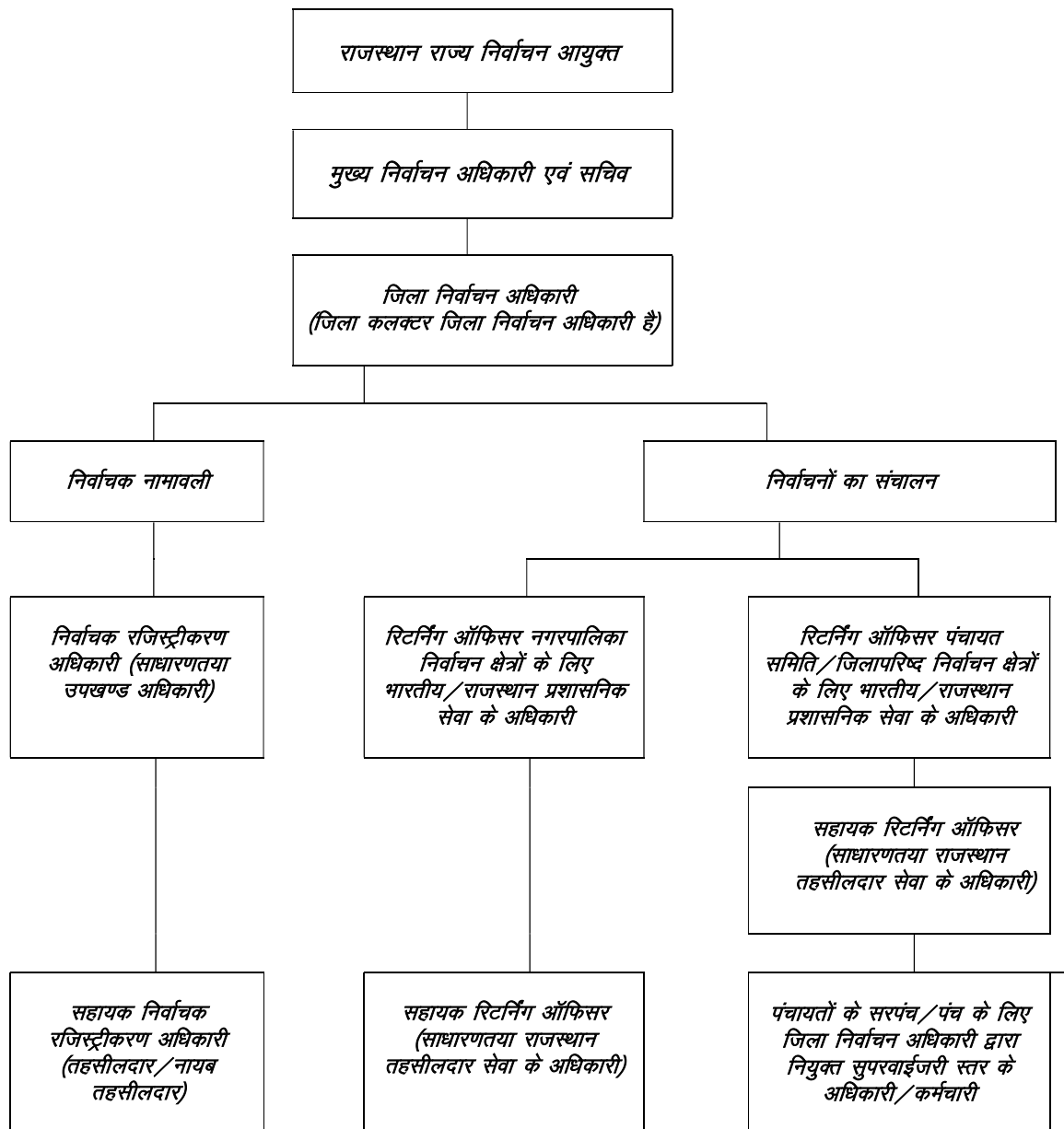
नोट:- नगर निगम में महापौर एवं उप महापौर, नगर परिषद में सभापति एवं उप सभापति एवं नगर पालिका में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव तथा पंचायत में जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, उप सरपंच, का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

2.3 निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से और सभी सुसंगत अधिनियमों, नियमों और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यपालक निर्देशों के अनुसार संचालित हों।

2.4 त्रुटि रहित और अद्यतन निर्वाचक नामावली तैयार करना

2.5 संरचना

साधारण संरचना



राज्य स्तरीय आयोग की संरचना

आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

उप सचिव	उप विधी परामर्शी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	सहायक सचिव	सहायक सचिव (पंचायत)	संस्थापन अधिकारी	एनलिस्ट कम प्रोग्रामर	सहायक लेखाधिकारी-I	प्रशासनिक अधिकारी (02)
---------	------------------	-------------------	------------	---------------------	------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

अतिरिक्त निजी सचिव (01), प्रोग्रामर (01), अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (05), सहायक लेखाधिकारी-II (01), निजी सहायक (02), सहायक सांख्यिकी अधिकारी (01), सहायक प्रशासनिक अधिकारी (08), कनिष्ठ लेखाकार (03), कनिष्ठ विधि अधिकारी (01), सहायक प्रोग्रामर (02), वरिष्ठ सहायक (11), सूचना-सहायक (03), कनिष्ठ सहायक (19), वाहन चालक (2), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (11)

जिला स्तरीय संरचना

सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श से अधिसूचित किये जाते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) संख्या 41, (41 जिले)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी संख्या 41, (41 जिले)

कार्यालय समय

उपर्युक्त सभी कार्यालयों का कार्यालय समय सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9.30 बजे से सांयः 6.00 बजे तक है। जिसमें दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक का भोजनावकाश है। (प्रत्येक शनिवार को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार)

नोट:- सूचना का अधिकार अधिनियम/नियमों के अधीन आवेदन/अर्जियां केवल कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान ही स्वीकार की जायेंगी।

शिकायत निराकरण तंत्र

निर्वाचन के विषय से संबंधित अभ्यावेदन शिकायतें सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव के कार्यालय में प्राप्त की जाती है।

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव के कर्तव्य

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार राज्य के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव के पद पर कार्यरत अधिकारी को आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन, राज्य की समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करने के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किया जाता है। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। राज्य स्तर पर उपर्युक्त समस्त कार्यों को सुकर बनाना और उनका समन्वय करना ताकि राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अनुदेशों/निदेशों को यथारूप (As it is) कार्यान्वित किया जा सकें।

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रत्येक नगर पालिका/पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ऐसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जायेगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

- (1) निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में आम चुनाव के समय जनवरी की पहली तारीख अर्हक तारीख मानते हुये एवं दोनों संस्थाओं में उत्पन्न हुई रिक्विरियों के उप चुनाव हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है।
- (2) निर्वाचक नामावलियों से संबंधित शिकायतों का निराकरण

3. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सभी या किन्ही कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम होगा।

4. जिला निर्वाचन अधिकारी

राज्य के प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन जिले में, या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में जिले के भीतर के सभी नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने, पुनरीक्षित करने और सही करने के संबंध में समस्त कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों के संचालन के संबंध में समस्त कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो उसे राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव द्वारा सौंपे जायें।

(क) निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्य

- (i) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करना
- (ii) दावों और आक्षेपों के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये गये कतिपय विनिश्चयों के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना

(ख) निर्वाचनों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

- (i) राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान केन्द्रों का चयन और स्थापना
- (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदान दलों का गठन और पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करना
- (iii) मतदान कार्मिकों को सघन प्रशिक्षण देना (जिसमें आरक्षित ड्यूटी वाले भी सम्मिलित हैं)
- (iv) जन साधारण, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और मीडिया को मध्य नगर पालिका चुनाव/पंचायत चुनाव हेतु इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के बारे में जानकारी देना
- (v) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे की संवीक्षा करना
- (vi) निर्वाचन पूर्ण होने के पश्चात् और उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि में समस्त मतदान मशीनों, मतपेटियों, निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों और निर्वाचन सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करना।
- (vii) निर्वाचनों के संचालन से संबंधित कर्तव्य
- (viii) निर्वाचन से संबंधित शिकायत-निराकरण

5. रिटर्निंग ऑफिसर

प्रत्येक नगर पालिका/पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जो राज्य सरकार का या स्थानीय निकाय के अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) द्वारा पदाभिहित नामित या नामनिर्देशित किया जाता है।

रिटर्निंग ऑफिसर जिस निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचनों के संचालन के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी होगा। उसके कृत्य निम्नांकित हैं:—

- (i) मतदान केन्द्रों का चयन और स्थापना
- (ii) मतदान कार्यक्रम के अनुसार मतदान केन्द्र की रूपरेखा तैयार करना और विस्तृत व्यवस्था करना
- (iii) मतदान कार्मिक की (आरक्षित को सम्मिलित करते हुए) नियुक्ति और प्रशिक्षण
- (iv) निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराना
- (v) मतदान के लिए ईवीएम एवं मतपेटियों को तैयार करना (vi) निर्वाचन के खर्चों का लेखा और रजिस्टर रखने के लिए अनुदेशों की प्रति सौंपना
- (vii) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा
- (viii) प्रतीकों का आवंटन
- (ix) नामनिर्देशनों के सूचना, विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों और निर्वाचन लड़ने वालों की सूची का प्रकाशन
- (x) डाक मतपत्रों का मुद्रण
- (xi) स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न निर्वाचनों और आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों के साथ बैठकें/सम्पर्क करना
- (xii) मतदान के संचालन के लिए मतदान दलों की उपस्थिति और मतपत्रों और अन्य निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना, मतदान का पर्यवेक्षण और राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजना
- (xiii) नामनिर्देशन पत्र, प्रतिभूति निक्षेप, अभ्यर्थियों के बारे में दलों से सूचना प्राप्त करना
- (xiv) मतदान के पश्चात् सुरक्षा व्यवस्था के अधीन ईवीएम एवं मतपेटियों का परिवहन और भण्डारण
- (xv) मतगणना का स्थान नियत करना और वास्तविक मतगणना परिणाम की घोषणा
- (xvi) मतगणना के पश्चात् निर्वाचन पत्रों और सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा
- (xvii) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्चों के लेखों की संवीक्षा करना और आयोग को उनकी विवरणियां प्रस्तुत करना
- (xviii) निर्वाचन कार्य का संपूर्ण पर्यवेक्षण करना।

6. सहायक रिटर्निंग ऑफिसर

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), रिटर्निंग ऑफिसर की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति कर सकेगा। प्रत्येक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर के समस्त कृत्यों या उनमें से किसी का भी निर्वहन करने के लिए सक्षम होगा। तथापि, रिटर्निंग ऑफिसर के जो कृत्य नामनिर्देशनों की संवीक्षा से संबंधित हैं उनमें से किसी कृत्य को कोई सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तब तक नहीं करेगा जब तक कि रिटर्निंग ऑफिसर उक्त कृत्य का पालन करने से अपरिहार्य रूप से निवारित न हो जाये।

अध्याय 3

कृत्यों के निर्वहण के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

3.1 ऊपर वर्णित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन मेन्युअल ऑफ पंचायती राज इलेक्शन लॉ एवं मेन्युअल ऑफ म्युनिसिपल इलेक्शन लॉ और पश्चात्वर्ती सूचीबद्ध विभिन्न पुस्तिकाओं में अंतर्विष्ट विभिन्न निर्वाचन विधियों, नियमों एवं आदेशों द्वारा विनियमित होता है।

जनता से सुसंगत विनिश्चय करने का प्रमुख क्षेत्र और उन क्षेत्रों में अपनाये जाने वाले मानक नीचे दिये गये हैं। पर्यवेक्षण और दायित्व का प्रवर्तन कराने की प्रणालियों में पूर्व में दिये गये संगठनात्मक संरचना में विनिर्दिष्ट अधिकर्म का साधारणतया पालन किया जाता है।

3.2 निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाना और मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए पात्रता

- (i) अर्हता तारीख अर्थात् पुनरीक्षण वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करली हो
- (ii) भारत का नागरिक होना चाहिए
- (iii) मामूली तौर पर उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहाँ से आवेदन किया गया है।
- (iv) विकृतचित्त का नहीं होना चाहिए (यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है तो मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए योग्य नहीं है)

मत देने के लिए पात्रता

- (i) निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में नाम सम्मिलित होना चाहिए।
- (ii) मतदान का अधिकार प्रयोग करने योग्य नहीं है यदि निर्वाचक किसी कारागार में (कारावास या निर्वासन के दण्ड के अधीन या अन्यथा) परिरुद्ध है या निवारक निरोध को छोड़कर पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हैं।
- (iii) निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए ऊपर दिये गये मापदण्डों को पूरा नहीं करता है।

निर्वाचक नामावली से नाम हटाए जाने के कारण

- (i) उपवार्ड/निर्वाचन क्षेत्र नहीं रह गया है। निवास बदल लिया है
- (ii) एक से अधिक स्थानों पर नाम जुड़ा होने पर
- (iii) मृत्यु
- (iv) अर्हता तारीख पर आयु कम होने पर
- (v) भारत का नागरिक नहीं है/दूसरे देश का नागरिक है।

अध्याय-4

राज्य निर्वाचन आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

क्र.सं.	पद का नाम	पे-लेवल	पदों की संख्या
1	आयुक्त (संवैधानिक पद) IAS Retd.	(स्थिर) 99	1
2	सचिव (मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव) IAS	10000 (L-24)	1
3	उप सचिव	7600 (L-19)	1
4	उप विधि परामर्शी	7200 (L-18)	1
5	वरिष्ठ लेखाधिकारी	6600 (L-16)	1
6	सहायक सचिव	5400 (L-14)	2
7	संस्थापन अधिकारी	6600 (L-16)	1
8	एनलिस्ट कम प्रोग्रामर	6600 (L-16)	1
9	सहायक लेखाधिकारी-I	4800 (L-12)	1
10	प्रशासनिक अधिकारी	4800 (L-12)	2
11	अतिरिक्त निजी सचिव	4800 (L-12)	1
8	प्रोग्रामर	4800 (L-12)	1
9	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	4200 (L-11)	1
10	सहायक लेखाधिकारी-II	4200 (L-11)	1
11	अति. प्रशा. अधिकारी	4200 (L-11)	5
12	निजी सहायक	4200 (L-11)	2
13	सहायक प्रशा. अधिकारी	3600 (L-10)	8
14	सहायक प्रोग्रामर	3600 (L-10)	2
15	कनिष्ठ विधि अधिकारी	3600 (L-10)	1
16	कनिष्ठ लेखाकार	3600 (L-10)	3
17	वरिष्ठ सहायक	2800 (L-8)	11
18	सूचना सहायक	2800 (L-8)	3
19	कनिष्ठ सहायक	2400 (L-5)	19
20	वाहन चालक	2400 (L-5)	2
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1700 (L-1)	11

अध्याय 5

अन्य सूचना जो विहित की जाये

1. निर्वाचनों के संचालन के बारे में सामान्य सूचना

भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों में नगरपालिकाओं/पंचायती राज संस्थाओं के पदों के निर्वाचनों के संचालन के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया है।

उक्त संस्थाओं के निर्वाचन विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधियों से अनुपूरित सांविधानिक उपबंधों के अनुसार संचालित किये जाते हैं। मुख्य अधिनियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 है जो मुख्य रूप से निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण एवं निर्वाचनों के संचालन से संबंधित हैं। इन अधिनियमों के अतिरिक्त— नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994, में नगरीय निकाय निर्वाचनों की प्रक्रिया बताई गई है। इसी प्रकार पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 में पंचायत चुनाव के संचालन की व्यवस्था दी गयी है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां अधिनियमित विधियां मौन हैं या उनमें निर्वाचन के संचालन में तत्कालीन स्थिति से कार्यवाही करने के लिए अपर्याप्त उपबंध है वहां राज्य निर्वाचन आयोग को समुचित रीति में कार्य करने हेतु संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियां हैं।

निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलापों पर अधिक जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका की अन्तर्वस्तु इत्यादि को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।